एच. एस. बेन्स डयरेक्टर स्मॉल सेविंग-कम-डिप्टी सैक्रेटरी, फाईनेंस, पंजाब, चंडीगढ

बनाम

स्टेट (यूनियन टैरीटरी ऑफ चंडीगढ़)

10 अक्टूबर, 1980

[आर. एस. सारकारिया और ओ. चिनाप्पा रेड्डी, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता 1898- धारा 190(1)(बी) और (सी)- का दायरा-मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दिया- पुलिस ने धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की- पुलिस रिपोर्ट से असहमत होकर मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया- मजिस्ट्रेट यदि धारा 190(1)(बी) के तहत शिकायत का संज्ञान लेने में सक्षम है।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर कि अपीलकर्ता रिवॉल्वर से लैस होकर दो व्यक्तियों के साथ उसके घर में घुस आया और उसे जान से मारने की धमकी दी, मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दिया। आपराधिक प्रक्रिया की धारा 173 के तहत अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि शिकायत झूठी थी क्योंकि उसमें उल्लिखित तारीख और समय पर अपीलकर्ता उस स्थान से बहुत दूर एक अलग स्थान पर था जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस के निष्कर्ष से असहमत होकर मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 448, 451 और 506 के तहत मामले का संज्ञान लिया और अपीलकर्ता को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने की अपील करने वाली अपीलकर्ता की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं था जैसे कि यह पुलिस रिपोर्ट पर था क्योंकि पुलिस द्वारा धारा 173 के तहत रिपोर्ट में अपीलकर्ता द्वारा कारित किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था।

अपील खारिज करते ह्ये, अभिनिर्धारित किया:

जहां मजिस्ट्रेट, शिकायत प्राप्त होने पर धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देता है और धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त करता है कि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बताया गया है, मजिस्ट्रेट या तो (i) यह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है या (ii) वह धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और प्लिस के निष्कर्ष से किसी भी तरह से बंधे बिना प्रक्रिया जारी कर सकता है या (iii) वह मूल शिकायत के आधार पर धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान लें सका है और धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की शपथ पर जांच करने के लिए आगे बढ सकता है। यदि वह तीसरा विकल्प अपनाता है, तो वह पकड़ सकता है या निर्देश दे सकता है यदि वह उचित समझे तो धारा 202 के तहत पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद वह शिकायत को खारिज कर सकता है या जैसी भी स्थिति हो, प्रक्रिया जारी कर सकता है। [9408-जी]

किसी भी घटना में, यह कहना असंभव है कि मजिस्ट्रेट, जो कि पुलिस रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर अपराध पर संज्ञान लेता है, यह कहा जाना चाहिए कि उसने अपराध का संज्ञान "संदेह के आधार पर" लिया था, न कि पुलिस की रिपोर्ट पर, केवल इसलिए क्योंकि वह और पुलिस तथ्यों से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट पुलिस के निष्कर्षों से बंधा नहीं है: यदि वह उनके निष्कर्षों को नजरअंदाज करता है और अपराध का स्वयं संज्ञान लेता है, तो वह पुलिस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तथ्यों पर ऐसा करता है, हालांकि उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर नहीं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह "संदेह के आधार पर" संज्ञान ले रहे थे. [942 ई-एच]

अभिनंदन झा एवं अन्य बनाम दिनेश मिश्रा [1967] 3 एससीआर 668 में, जहां इस न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की विपरीत राय

के बावजूद धारा 190(1)(सी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है, उसमें उप-खंड (बी) के लिए उप-खंड (सी) का संदर्भ गलत था। अपीलकर्ता का तर्क है कि इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह विचार किया था कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान धारा 190 (1) (बी) के तहत नहीं ले सकता है जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट थी, लेकिन धारा 190 (1) (सी)के तहत जैसे कि यह "संदेह पर" था, टिकाऊ नहीं है, क्योंकि धारा 190(1) (सी) का उन मामलों पर लागू होने का कभी इरादा नहीं था जहां धारा 173(1) के तहत पुलिस रिपोर्ट थी। [942 सी-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 687/1980

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्रिमिनल विविध संख्या 26-एम/1980 में निर्णय और आदेश दिनांकित 18-4-1980 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

श्रीमती उर्मिला सिरूर, अपीलार्थी की ओर से।

श्रीमती शोभा दीक्षित और एम. एन. श्रॉफ, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया- 13 अगस्त 1979 को, चंडीगढ़ निवासी गुरनाम सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंडीगढ़ को एक शिकायत सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता एच.एस. बैंस 11 अगस्त, 1979 की स्बह, लगभग 8 बजे दो व्यक्तियों के साथ एक कार में उनके घर में घ्स आए थे और धमकी दी कि अगर वह अपने सगे बेटे अमन दीप सिंह को उसकी बहन बख्शीश कौर के घर से नहीं ले गया, तो वह उसे और उसके सगे बेटे को जान से मार देगा। निःसंतान होने के कारण उसने लड़के को गोद ले लिया था। बख्शीश कौर अपीलकर्ता के भाई की विधवा थी और बख्शीश कौर द्वारा गोद लिया जाना अपीलकर्ता को पसंद नहीं था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता एक रिवॉल्वर से लैस था जिसे उसने शिकायतकर्ता पर तान दिया। शिकायतकर्ता ने शोर मचा दिया। आरोपी और उसके साथी अपनी कार में बैठकर भाग गए। चूँकि 11 अगस्त, 1979 और 12 अगस्त, 1979 को छ्ट्टियाँ थीं, वह केवल 13 अगस्त, 1979 को शिकायत दर्ज करने में सक्षम था। जिस विद्वान मजिस्ट्रेट को शिकायत प्रस्त्त की गई थी, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्लिस द्वारा जांच का आदेश दिया। प्लिस ने जांच पूरी करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को यह उल्लिखित करते ह्ये एक रिपोर्ट सौंपी कि कि अपीलकर्ता के खिलाफ मामला सच्चा नहीं है और इसे हटाया जा सकता है। प्लिस इस निष्कर्ष पर पह्ंची कि अपीलकर्ता के खिलाफ मामला सच नहीं था क्योंकि उनकी जांच से पता चला कि अपीलकर्ता 11 अगस्त 1979 को सुबह 9 बजे अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट श्री जय सिंह के साथ अमृतसर में था और इसलिए, 11 अगस्त 1979 को सुबह 8 बजे उनका चंडीगढ़ में होना

असंभव था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पुलिस के निष्कर्ष से असहमित जताई, और भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 451 और 506 के तहत मामले का संज्ञान लिया और अपीलकर्ता को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। प्रक्रिया के मुद्दे से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध मामला संख्या 26-एम/ 1980 दायर किया। आवेदन को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमित देने के लिए याचिका दायर की। हमने विशेष अनुमित दी और पक्षों की सहमित से सीध अपील पर स्नवाई की।

श्री कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर बयान दर्ज किए बिना आरोपी को प्रक्रिया जारी कर दी थी और इसलिए, उसे धारा 190(1)(बी) के तहत मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए, मानो किसी पुलिस रिपोर्ट पर। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं था, जैसे कि यह धारा के तहत रिपोर्ट के रूप में पुलिस रिपोर्ट पर था, उन्हें सौंपे गए 173 आपराधिक प्रक्रिया संहिता से पता चला कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। श्री सिब्बल के अनुसार, मामले की परिस्थितियों में,

मजिस्ट्रेट, धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इस आशय की कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं हुआ, उसके सामने केवल दो ही विकल्प थे। वह या तो आगे की जांच का आदेश दे सकता है या वह मामले का संज्ञान ले सकता है जैसे कि शिकायत पर, धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है और उसके बाद प्रक्रिया जारी करने के लिए आगे बढ़ें यदि वह संतुष्ट है कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए। किसी भी मामले में, श्री सिब्बल ने कहा कि मामले का संज्ञान लेने का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश इतना अनुचित था कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। श्री सिब्बल ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के दो निर्णयों की ओर आकर्षित किया: अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा; और तुला राम एवं अन्य बनाम किशोर सिंह।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय XII पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियों से संबंधित है। धारा 156 (1) एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 156(3) धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट को धारा 156(1) में में उल्लिखित जांच का आदेश देने के लिए अधिकृत करता है। धारा 157 से प्रावधान जांच की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 169 निर्धारित करता है कि यदि जांच के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह

प्रतीत होता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, प्लिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर म्कदमा चलाने या उसे म्कदमा चलाने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने के लिए एक बांड (जमानत के साथ या उसके बिना) निष्पादित करने पर उसे रिहा कर सकात है। धारा 170 निर्धारित करता है कि यदि जांच करने पर प्लिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में लिए गए आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। प्लिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर म्कदमा चलाने या उसे म्कदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध करने का अधिकार है। यदि अपराध जमानती है तो अधिकारी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन पर उसकी उपस्थिति के लिए और अन्यथा निर्देश दिए जाने तक ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दिन-प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए उससे स्रक्षा लेगा। धारा 173 (1) प्लिस अधिकारी पर अनावश्यक देरी के बिना जांच पूरी करने का कर्तव्य डालता है। धारा 173 (2) निर्धारित करता है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्लिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए

सशक्त मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उस उपधारा मेउल्लिखित विभिन्न विवरण होंगे।

धारा 190(1) जो अध्याय XIV में होता है (कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें) इस स्तर पर निकाली जा सकती हैं। यह इस प्रकार है:

"190(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, और उपधारा (2) के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है-

- (ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराधों का गठन करे।
- (बी) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;
- (सी) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपने स्वयं के ज्ञान पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।"

धारा 190 में जो निकाला गया है जैसा कि यह वर्तमान में है। पिछली संहिता का धारा 190 थोड़ा अलग था। खंड (1)(बी) को "किसी भी पुलिस-अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर" के रूप में पढ़ा जाता है। खंड (1) (सी) में 'ज्ञान' शब्द के बाद 'या संदेह' शब्द आया, और ये शब्द अब हटा दिए गए हैं..

संहिता का अध्याय XV (धारा 200 से 203) "मजिस्ट्रेट को शिकायतों" से संबंधित है। शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के लिए धारा की आवश्यकता होती है। किसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की जांच करना आवश्यक है। धारा 202 में प्रावधान है कि शिकायत पर किसी मामले का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट, यदि उचित समझे, तो आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर सकता है, और या तो मामले की स्वयं जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है। आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से, अन्य व्यक्ति जैसा कि वह उचित समझता है, धारा 203 मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हो) और धारा के तहत जांच या जांच (यदि कोई हो) और धारा 202 के अंतर्गत परिणाम पर विचार करने के बाद शिकायत को खारिज करने का अधिकार देता है, मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अध्याय XVI "मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की श्रुआत" से संबंधित है और धारा 204 मजिस्ट्रेट को आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन या वारंट जारी करने

में सक्षम बनाता है, यदि अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

यह उन प्रावधानों से देखा जाता है जिनका हमने पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया है कि शिकायत प्राप्त होने पर एक मजिस्ट्रेट के पास कई पाठ्यक्रम ख्ले होते हैं। वह अपराध का संज्ञान ले सकता है और धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसके बाद, यदि उसकी राय में आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है। यदि उसकी राय में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी कर सकता है। हालाँकि, यदि वह उचित समझता है, तो वह प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर सकता है और या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी प्लिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह यह तय करने के उद्देश्य से उचित समझता है कि क्या आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि उसकी राय में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह प्रक्रिया जारी कर सकता है या पर्याप्त आधार नहीं होने पर शिकायत को खारिज कर सकता है, दूसरी ओर, पहली बार में, शिकायत के प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने के बजाय, धारा 156(3)के तहत जांच का आदेश दे सकता है। प्लिस तब जांच करेगी और धारा 173(1)के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और सीधे प्रक्रिया जारी करेगा । ऐसा वह पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार की परवाह किए बिना कर सकता है, भले ही कोई अपराध ह्आ हो या नहीं। धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट में प्लिस द्वारा खोजे गए या उजागर किए गए तथ्य और उससे प्लिस द्वारा निकाला गया निष्कर्ष शामिल होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बाध्य नहीं है और वह प्रक्रिया जारी करने का निर्णय ले सकता है, भले ही प्लिस अन्शंसा करती है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, प्रक्रिया जारी किए बिना या कार्यवाही को रद्द किए बिना, मूल रूप से उसे सौंपी गई शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का निर्णय ले सकता है और शिकायतकर्ता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत उपस्थित गवाहों की शपथ पर बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है और उसके बाद तय कर सकता है कि शिकायत को खारिज किया जाए या प्रक्रिया जारी की जाए। मात्र तथ्य यह है कि उन्होंने पहले धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया था और धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट शिकायत पूरी तरह नष्ट नहीं होगी और इसलिए मजिस्ट्रेट को धारा 200, 203 और 204 के तहत आगे बढ़ने से रोका नहीं जाएगा। इस प्रकार, एक मजिस्ट्रेट जो शिकायत प्राप्त होने पर धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देता है। और धारा 173(1)के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करता है, उसके बाद, तीन चीजों में से एक कर सकता है (1) वह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और कार्रवाई छोड़ सकता है; (2) वह धारा के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है। 190(1)(बी) पुलिस रिपोर्ट और जारी प्रक्रिया के आधार पर; ऐसा वह रिपोर्ट में पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना कर सकता है (3) वह मूल शिकायत के आधार पर धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और धारा200 के अंतर्गत शिकायतकार्त और उसके साक्षियों को शपथ दिलाकर परीक्षित कर सकता है। यदि वह तीसरा विकल्प अपनाता है, तो वह धारा 202 के तहत पूछताछ कर सकता है या निर्देशित कर सकता है, यदि वह उचित समझे। इसके बाद वह शिकायत को खारिज कर सकता है या प्रक्रिया जारी कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

अभिनंदन झा एवं अन्य बनाम दिनेश मिश्रा, (उपरोक्त) में सवाल उठा कि क्या एक मजिस्ट्रेट जिसे धारा 173 (1) के तहत रिपोर्ट दी गई है इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था, पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से असहमत होने पर पुलिस को आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दे सकता था। इस न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस पुलिस रिपोर्ट पर सहमत होना या असहमत होना मजिस्ट्रेट के लिए खुला था। यदि वह रिपोर्ट से

सहमत है कि आरोपी को प्रक्रिया जारी करने का कोई मामला नहीं बनता है, तो वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही बंद कर सकता है। यदि वह इस निष्कर्ष पर पह्ंचता है कि आगे की जांच आवश्यक है तो वह धारा 156(3) के तहत इस आशय का आदेश दे सकता है। यदि अंततः मजिस्ट्रेट की राय हो कि प्लिस रिपोर्ट में दिए गए तथ्य अपराध हैं तो वह रिपोर्ट में व्यक्त पुलिस की विपरीत राय के बावजूद अपराध का संज्ञान ले सकता है। यह राय व्यक्त करते ह्ए कि मजिस्ट्रेट पुलिस की विपरीत राय के बावजूद अपराध का संज्ञान ले सकता है, न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट धारा '190(1)(सी)' के तहत संज्ञान ले सकता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 190(1)(सी)' का संदर्भ धारा 190(1)(बी)' के लिए एक गलती थी। यह हमें स्पष्ट प्रतीत होता है। लेकिन श्री कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि संदर्भ वास्तव में धारा 190(1) (सी) का था। उस समय से धारा 190(1)(सी) में 'या संदेह' शब्द शामिल थे और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह विचार किया था कि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान मानो प्लिस रिपोर्ट पर धारा 190(1)(बी) के तहत नहीं ले सकता है लेकिन 190(1)(सी) के तहत मानो 'संदेह पर'। हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं. धारा 190(1)(सी) का उन मामलों पर लागू होने का कभी इरादा नहीं था जहां धारा 173(1)के तहत पुलिस रिपोर्ट थी। हमारे लिए यह कहना असंभव है कि एक मजिस्ट्रेट जो प्लिस रिपोर्ट में प्रकट तथ्यों के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेता है, यह कहा जाना चाहिए कि उसने

अपराध का संज्ञान संदेह के आधार पर लिया है, न कि प्लिस रिपोर्ट के आधार पर, केवल इसलिए कि मजिस्ट्रेट और तथ्यों से प्लिस अलग-अलग नतीजे पर पह्ंची। मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बंधा ह्आ नहीं है, वैसे ही वह किसी शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बंधा हुआ नहीं है। यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में प्रासंगिक तथ्य बताता है और आरोप लगाता है कि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी है, के तहत मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता के निष्कर्ष से बाध्य नहीं है। वह सोच सकता है कि तथ्य केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध का ख्लासा करते हैं और वह धारा 307 के स्थान पर धारा 324 में किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। इसी प्रकार यदि किसी पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा जांच किए गए आधा दर्जन व्यक्ति किसी हत्या के चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सका, तो मजिस्ट्रेट प्लिस की राय को गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। वह गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में प्लिस के निष्कर्षों को नजरअंदाज करना और अपराध का संज्ञान लेना पसंद कर कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो यह गवाहों के बयानों के आधार पर होगा जैसा कि पुलिस रिपोर्ट से पता चला है। प्लिस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तथ्यों पर वह

संज्ञान लेगा हालांकि पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर नहीं है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह संदेह के आधार पर संज्ञान ले रहे हैं।

त्ला राम एवं अन्य बनाम किशोर सिंह (उपरोक्त) में, मजिस्ट्रेट ने शिकायत मिलने पर धारा 156(3)के तहत जांच का आदेश दिया। पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्त्त की जिसमें बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। हालाँकि, अदालत ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी की। यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेने में क्षेत्राधिकार के बिना काम किया जैसे कि एक शिकायत पर जब पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। इस न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्तियों के भीतर काम किया और पाया कि जैसे ही मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3)के तहत जांच का आदेश दिया, शिकायत समाप्त नहीं हुई। इसलिए, हम श्री सिब्बल के इस कथन से सहमत होने में असमर्थ हैं कि मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्तों को प्रक्रिया जारी करने में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया, इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस रिपोर्ट इस आशय की थी कि कोई मामला नहीं बनाया गया था।

हम मामले के गुणावगुण के बारे में एक शब्द भी कहने का प्रस्ताव नहीं करते क्योंकि यह पूरी तरह से विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए कई अपराधों का संज्ञान लेने या न लेने का मामला था। हालाँकि, हम यह देखना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के लिए इतना विस्तृत आदेश लिखना पूरी तरह से अनावश्यक था जैसे कि वह सबूतों का वजन कर रहा हो और अंततः मामले का निपटारा कर रहा हो। हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के बारे में विद्वान मजिस्ट्रेट की कुछ टिप्पणियाँ पूरी तरह से अनुचित थीं क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट को अभी तक गवाह के रूप में उनके सामने पेश नहीं होना था। हमें बताया गया कि मामला पहले ही किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए इस मामले में आगे कुछ भी कहना अनावश्यक है। अतः अपील खारिज की जाती है।

पी.बी.आर.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।